संख्या–2506 / 9–1–2016–185 सा / 10टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

2–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त महाप्रबन्धक
जल संस्थान / जलकल
उत्तर प्रदेश।

4–समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

5– समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊःदिनांकः ~~7~~ 9- ~~अगस्त~~, 2016

विषयः–प्रदेश के नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती / नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2021 / 9–1–16–185 सा / 10 टीसी, दिनांक 04 जुलाई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती / नियुक्ति हेतु समय–सारिणी एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों में भर्ती / नियुक्त किये गये समस्त संविदा सफाई कार्मिकों को तीन माह की अवधि के लिए गहन संवीक्षा (Close Observation) पर रखा जायेगा। गहन संवीक्षा पर रखे गये सफाई कार्मिकों के कार्यो का लगातार पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण इस आशय से किया जायेगा कि क्या उसके द्वारा सफाई कार्य भलीभांति किया जा रहा है। गहन संवीक्षाधीन सफाई कार्मिकों के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन भली–भांति ढंग से न किये जाने व आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर लिखित निर्देश व चेतावनी दी जाये, इसके उपरान्त सफाई कार्य, आचरण व उपस्थिति में अपेक्षित सुधार न होने पर संविदा सफाई कार्मिकों की संविदा सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती है। संविदा सफाई कार्मिकों का कार्य, आचरण एवं उपस्थिति संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवायें बढायी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
09/16
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत को इस निर्देशके साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। (द्वारा– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0)

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव